

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

कमांक: प.19 (1) सा.प्र./ग्रुप-4/11

जयपुर, दिनांक 7/6/11

मुख्य अभियन्ता (भवन),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:- राजकीय आवास संख्या 1/4 गांधीनगर, जयपुर में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।

संदर्भ:- अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०विभाग, नगर खण्ड-तृतीय, जयपुर की सीआर नम्बर 0012739/026 दिनांक 20.6.11

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आवासी द्वारा सहभागिता राशि जमा करवाने के फलस्वरूप राजकीय आवास संख्या 1/4, (श्री राजेश यादव) गांधीनगर जयपुर में टॉयलेट में टाईल्स वर्क्स/एडीशन/अल्टारेशन कार्य हेतु राशि रु 0.48 लाख (अक्षरे रूपये अड़तालीस हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह व्यय बजट मद 2216—आवास (हाउसिंग) 05—साधारण पूल आवास, 800— अन्य व्यय (01) निर्माण [04] प्रथम से चतुर्थ श्रेणी के आवासों के लिये, 16—लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) से चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा। कार्य पूर्ण करवाकर कमालीशन प्रमाण प्रत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धातों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र कमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

Sd
उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
3. श्री राजेश यादव, 1/4, गांधीनगर, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-गा, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

J
उप शासन सचिव (क)

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक :— प.19 (7) सा.प्र./ग्रुप-4/11

जयपुर, दिनांक ७/६/११

मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:— राजकीय आवास संख्या 384, सिविल लाईंस जयपुर में
परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजकीय आवास संख्या 384, सिविल लाईंस जयपुर में निम्न कार्यों हेतु राशि रु. 2.40 लाख (अक्षरे रूपये दो लाख चालीस हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र.सं	आवासी का नाम व आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)
1.	माननीय मंत्री श्री हेमराम चौधरी, राजस्व विभाग आवास संख्या 384, सिविल लाईंस जयपुर	Construction of Fiber sheet shed	2.40
		कुल योग	2.40

यह व्यय बजट मद 2216—आवास (हाउसिंग) 05—साधारण पूल आवास, 800—अन्य व्यय (01) निर्माण [03] मुख्यमंत्री व मंत्रीयों के बंगलों के लिये, 16—लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) से चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में वहन होगा। कार्य पूर्ण करवाकर कम्पलीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुरक्षापित सिद्धातों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय


उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-३, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री श्री हेमराम चौधरी, राजस्व विभाग आवास संख्या 384, सिविल लाईंस जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव (क)